महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 44वीं बैठक

दिनांक 29 मार्च, 2010 का कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 44वीं बैठक दिनांक **29 मार्च, 2010** को **प्रातः 11.30** बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

उपस्थिति :

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो. के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (स्नातकोत्तर अध्ययन) संयोजक– प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष– प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
03. प्रो. सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय), एवं विभागाध्यक्ष– रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
04. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष– प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
05. श्री शेरसिंह दोचाणिया, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
06. श्री मदन लाल पीतलिया, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय), राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
07. प्रो. (श्रीमती) जी.के. कोहली, संकायाध्यक्ष (विज्ञान), संयोजक, खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
08. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान), विभागाध्यक्ष –जनसंख्या अध्ययन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
09. डॉ.(श्रीमती) फिरोज बेग, संयोजक–उर्दू, फारसी एवं अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
10. डा0 अन्जना भार्गव, संयोजक–संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर।
11. सुश्री सौभाग्य गोयल, संयोजक– इतिहास अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
12. श्री विजय कुमार वैद्य, संयोजक, रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं प्राचार्य, राजकीय एम.एल.वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
13. डा0 डी.आर.मेहरोत्रा, संयोजक, भौतिकशास्त्र अध्ययनबोर्ड एवं उपाचार्य, एम.एल.वी.महाविद्यालय, भीलवाड़ा
14. श्रीमति शिवकुमारी तिवारी, संयोजक– संस्कृत अध्ययन बोर्ड, एस.डी.राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।
15. प्रो. एस.एन. सिंह, संयोजक– राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष–राजनीति विज्ञान, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
16. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संयोजक– ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष–वाणिज्य, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
17. प्रो. के.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष– पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
18. डा0 सुभाष गर्ग, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान।
19. श्रीमती राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़।
20. डॉ. एन.एल. शर्मा, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़।
21. प्रो. एन.एस.शेखावत, विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, प्रतिनिधि, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
22. श्री बी.एल. सुनारिया, कुलसचिव– सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

01. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक–शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर।
02. प्रो. एम.एल.छीपा, संयोजक– अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय,अजमेर।
03. डॉ. विमला सिंहल, संयोजक– हिन्दी अध्ययन बोर्ड, एम एल वी कॉलेज, भीलवाड़ा।
04. डॉ. एस.एस.चुग, संयोजक–ड्रॉईंग एण्ड पेंटिंग अध्ययन बोर्ड, दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर।
05. डॉ. शैलबाला मिश्रा, संयोजक– अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा।
06. डॉ. एन.के. बीजावत, संयोजक– समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।
07. श्रीमती इन्दुबाला बाफना, संयोजक–गणित अध्ययन बोर्ड, एमएलवी राज. महा., भीलवाड़ा ।

08. श्री मुकेशचन्द्र माथुर, संयोजक, वनस्पति शास्त्र, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा
09. श्रीमती नयन तारा माथुर, संयोजक–गृह विज्ञान, एस एम एम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा।
10. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक–कम्प्यूटर साइंस एवं आई.टी. अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय,अजमेर।
11. निदेशक, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रो. बी के श्रीवास्तव, भौतिकशास्त्र, प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, प्रतिनिधि, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

विशेष आमंत्रित

01. डॉ. जगराम मीणा, परीक्षा नियन्त्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
02. डॉ. प्रकाश पंकज– उपकुलसचिव (शैक्ष.–।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
03. श्री आर. के. व्यास– उपकुलसचिव (शैक्ष.–।।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विद्या परिषद् की इस बैठक में उपस्थित हुए नए सदस्यों का परिचय कराया गया।

कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की कि, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों में चहुँमुखी विकास के लिए विद्या परिषद् के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात्, बैठक की कार्यसूची पर औपचारिक विचार–विमर्श आरम्भ हुआ।

en	foj.k		vuHkkx@foHkkx
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 25.09.2009 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (43) शैक्षणिक–I/मदसविवि/ 2009/ 47808–49 दिनांक 07.10.2009 को प्रेषित की गई ।		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की दिनांक 25.09.2009 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी।**		
मद सं. 2	दिनांक 25.09.2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 43वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना ।		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 25.09.2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 43वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन किया ।**		
मद सं. 3	विश्वविद्यालय के अध्यादेश 29 में अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रावधान निम्नानुसार है : The Vice-Chancellor may appoint Chairman of Board of Studies in the following order of preference: (i) University Professors (ii) Principals of P.G. College in the subject (iii) HOD's of the Associate Professor rank (iv) Principals of under graduate college (v) As per the discretion of the Hon'ble V.C.		**शैक्षणिक–I**

	विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य जो सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी इन पदों के दायित्व पर कार्यरत रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता रहा है । अतः इस अध्यादेश के प्रावधान का निर्वचन करना कि इन पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष/संयोजक बनाया जाना इस प्रावधान में अवधारित है ।		
निर्णय	**1.उक्त प्रस्ताव को निरस्त किया।** **2.विश्वविद्यालय परिनियमों को दृष्टिगत रखते हुए अध्यादेश 29 में Chairman के स्थान पर Convenor संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड में रखने की अनुशंषा की।**		
मद सं. 4	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों कीपुष्टि करना :** ¼1½ <u>ifronu g fd]</u> विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) (5) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्धबोर्ड के निर्णय संख्या 3 दिनांक 11.06.08 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. एस. पालरिया, विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एवं जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग को एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, के लिए संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय (Dean of Colleges) नियुक्त किया गया। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 (9) शैक्षणिक–I/ 2009/48671–970 दिनांक 28.10.09 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–2)**		शैक्षणिक–I
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**		
	¼2½ <u>ifronu g fd]</u> विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) (5) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 3 दिनांक 11.06.08 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. के.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग को एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, के लिए संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन (Dean of Post Graduate Studies) नियुक्त किया गया। तदनुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.13 (9)शैक्षणिक–I/ 2009/48370–669 दिनांक 28.10.09 जारी किया गया। **(परिशिष्ठ–3)**		शैक्षणिक–I
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**		
	¼3½ <u>ifronu g fd]</u> विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) (2) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 3 दिनांक 11.06.08 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नलिखित संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश प्रदान किये गये, तदनुसार नियुक्त संकायाध्यक्षों के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आदेश प्रसारित किये गये हैः–		शैक्षणिक–I

Ø- l-	fu;Dr ldk;k/;{k dk uke	ladk; ,o vof/k	dk;ky; vkns'k Øekad] fnukad
1	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, जनसंख्या अध्ययन विभाग	समाज विज्ञान संकाय दिनांक 28.10.09 से दो	क्रमांक एफ 13 (9) शैक्षणिक–I/ 2009/ 48972–49271 दिनांक

			वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो ।	28.10.09 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–4)**		
	2	प्रो. जी.के.कोहली, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	विज्ञान संकाय दिनांक 28.10. 09 से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो ।	कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 (9) शैक्षणिक–**I** /2009/ 48972– 49271 दिनांक 28.10.09 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–4)**		
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**					
	¼4½ ifronu g fd] एम.एस.सी कम्प्यूटर साईंस व एम.एस.सी आई.टी. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक योजना के अनुसार और विश्वविद्यालय के विभाग में समसत्र योजना के अनुसार संचालित करने के संबंध में कम्प्यूटर साइंस व आई.टी. बोर्ड द्वारा दिनांक 03.02.2010 को की गयी संस्तुतियों को माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकृति प्रदान की हैं । **(परिशिष्ठ–5)**					**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**					
	¼5½ ifronu g fd] सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पी. जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम 2009–10 एवं उसकी परीक्षा योजना के संबंध में कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 01.02.2010 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुतियों को माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकृति प्रदान की हैं । **(परिशिष्ठ–6)**					**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**					
	¼6½ ifronu g fd] M.Sc. Computer Science (Lateral Entry) तथा MCA (Lateral Entry) सत्र 2009–10 हेतु पाठ्यक्रम कम्प्यूटर साइंस व आई.टी. अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत नहीं किये जाने के कारण इस सत्र हेतु सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड के संयोजक से प्राप्त पाठ्यक्रम को माननीय कुलपति महोदय ने इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की है कि संयोजक भविष्य में समय पर अध्ययन बोर्ड से पाठ्यक्रम संस्तुत कराये । **(परिशिष्ठ–7)**					**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**					
	¼7½ ifronu g fd] विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 10 दिनांक 25. 09.2009 के अनुसार B.A./B.Sc./B.Com.Part-III परीक्षा 2010 (Pass Course & Honours) पाठ्यक्रम सत्र 2009 के पाठ्यक्रम के अनुसार यथावत रखने की अनुशंषा की गयी थी । इस क्रम में लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी अध्ययन बोर्ड के सदस्य के पत्र ¼**परिशिष्ठ–8**½ के तथ्यों के आधार पर एवं विद्या परिषद् के निर्णय संख्या					**शैक्षणिक–I**

	11 में वाणिज्य संकाय शीर्षक के अन्तर्गत अनुशंषा संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.12.2007 की सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की बैठक की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय ने B.Com. (Honours) Pt.III A.B.S.T., परीक्षा 2010 के लिए तत्समय संस्तुत पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार पाठ्यक्रम मुद्रित कराया गया ।		
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**		
	¼8½ ifronu g| fd] सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित बी.बी.ए. पार्ट–ा सत्र 2009–10, बी.बी.ए पार्ट–ाा, 2010–11 एवं बी.बी.ए. पार्ट–ााा सत्र 20011–12 वार्षिक योजना के अन्तर्गत संचालित करने एवं तदनुसार परीक्षा योजना और परिनियम 22 (डी) प्रभावी करने की प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड की दिनांक 24.02.2010 की संस्तुतियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । **(परिशिष्ठ–9)**		**शैक्षणिक–ा**
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**		
	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों कीपुष्टि करना : ¼9½ ifronu g| fd] दिनांक 31.12.2009 के पश्चात् घोषित पुनर्मूल्यांकन परिणामों में केवल सत्र 2009–2010 के लिए ऐसे छात्रों को जिनके विषयों में स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा देने का प्रावधान नहीं है, उन्हें प्रवेश नीति सत्र 2009–2010 के पंचम भाग के सामान्य नियम 'समस्त संकायों हेतु' के बिन्दु संख्या 5.5 के क्रम में विशेष परिस्थिति में प्रवेश हेतु शिथिलता माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रदान करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ.14( )शैक्ष.।।/मदसविवि/ 2010/2837 दिनांक 5.02.2010 एवं समसंख्यक पत्रांक 3332–56 दिनांक 9.02.2010 **(परिशिष्ठ– 11 व 12)** जारी किया गया है।		'k{kf.kd&AA
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**		
	(10) प्रतिवेदन है कि M.Sc. Food & Nutrition जो विश्वविद्यालय के **Food & Nutrition Department** एवं श्रीमति सुशीलादेवी माथुर कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा में तथा **M.Sc. Geology** जो बांगड़ कॉलेज, डीडवाना में संचालित है की **Semester – I** की परीक्षा जनवरी 2010 **(सत्र 2009–2010)** वार्षिक योजनान्तर्गत **(Annual Scheme)** लिये जाने के स्थान पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 18.01.2010 के अनुसार **Semester Scheme** से आयोजित की गयी।		ijh{kk
निर्णय	**प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।**		
	(11) ifrofnr g| fd 1. सत्र 2009–2010 के लिये समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को राज्य सरकार द्वारा जारी एन.ओ.सी. में अंकित अन्तिम तिथि तक सत्र 2008–09 एवं सत्र 2009–2010 की बी.एड./बी.पीएड पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि हेतु वांछित दस्तावेजों एवं/अथवा एन.सी.टी.ई. के मानदण्डों की प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने के कारण सत्र 2008–09 एवं सत्र 2009–2010 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि हेतु वांछित कमियों की पूर्ति करने,		'k{kf.kd&AA

	सम्बद्धता की शर्तों की तीन माह में संतोषप्रद अनुपालना प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन बी.एड./बी.पीएड महाविद्यालयों में सत्र 2009–2010 में छात्र आवंटन हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था । 2. उपरोक्त में से जिन बी.एड./बी.पीएड महाविद्यालयों की सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि वांछित दस्तावेजों/कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण लम्बित थी, से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर कि यदि निर्धारित अवधि में महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की शर्तों की पालना में असफल रहने या महाविद्यालय की असंतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा सम्बद्धता की शर्तों की अपूर्ण अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा सत्र 2008–09 व 2009–2010 का सम्बद्धता शुल्क जब्त करने एवं महाविद्यालय के सत्र 2009–2010 में प्रवेशित छात्रों को अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित करने के लिये स्वतंत्र होगा । अतः ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा अब तक सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि हेतु वांछित दस्तावेज/कमियों की पूर्ति नहीं की गई है, को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(2) एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकितानुसार सम्बद्धता वापसी का नोटिस जारी किया जा चुका है । 3. सत्र 2009–2010 हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नवीनतम मानदण्ड जो कि दिनांक 31 अगस्त, 2009 से लागू किये गये हैं, की बी. एड/बी.पीएड महाविद्यालयों द्वारा पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सत्र 2009–2010 की सम्बद्धता वृद्धि नहीं की गई है । 4. समन्वयक–पीटीईटी 2010, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पत्रांकः 52 दिनांक 18.02.2010 द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2010 तक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2010–2011 के लिये सम्बद्धता प्रदत्त महाविद्यालयों की सूची चाही गई है किन्तु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड/बी.पीएड महाविद्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार सत्र 2008–09 व 2009–2010 की सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता की शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण सत्र 2010–2011 हेतु राज्य सरकार की एन.ओ. सी. जारी नहीं होने एवं सत्र 2010–2011 का निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा अग्रेषण का पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सत्र 2010–2011 की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। 5. सत्र 2010–2011 में 2 महाविद्यालयों यथा मरूधरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बालोतरा (बाड़मेर) एवं टैगोर टी.टी. कॉलेज, केकड़ी (अजमेर) की एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता वापस ली जा चुकी है एवं दो महाविद्यालय यथा सुन्दर देवी बाफना शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हिमाड़ा, जसोल (बाड़मेर) एवं कमला देवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हिमाड़ा, जसोल (बाड़मेर) को सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता नहीं दिये जाने के निर्णय के पश्चात् दोनों महाविद्यालयों को माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर की खण्डपीठ के निर्णयानुसार सत्र 2009–2010 की छात्र आवंटन हेतु एन.ओ.सी. समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को जारी की जा चुकी है एवं वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय		

	के विचाराधीन होने के कारण सत्र 2010–2011 हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्न आदेश प्रदान किये गये हैं : (अ) जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु वांछित कमियों एवं दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण लम्बित है एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की शर्तों की अवहेलना की गई है, ऐसे महाविद्यालयों की सत्र 2010–2011 में छात्र आवंटन हेतु समन्वयक–पीटीईटी 2010, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को एन.ओ.सी. तब तक जारी नहीं की जाये जब तक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि प्रदान नहीं की जाती है । (ब) जिन महाविद्यालयों को सत्र 2008–09 की सम्बद्धता के आधार पर सत्र 2009–2010 में छात्र आवंटन हेतु समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को सत्र 2009–2010 की सम्बद्धता की शर्तों की पालना के अध्यधीन सशर्त एन.ओ.सी. जारी की गई थी एवं ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि लम्बित होने के कारण शपथ पत्र के आधार पर सशर्त छात्र आवंटन हेतु समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को एन.ओ.सी. जारी की गई थी एवं सत्र 2008–09 की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि जारी की जा चुकी है के द्वारा सत्र 2009–2010 में एन.सी.टी.ई. के दिनांक 31.08.2009 के नवीनतम मानदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण सत्र 2009–2010 व 2010–2011 की सम्बद्धता वृद्धि लम्बित है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि सत्र 2009–2010 की भाँति ऐसे समस्त महाविद्यालय जिनकी सत्र 2009–2010 की सम्बद्धता समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को छात्र आवंटन हेतु एन.ओ.सी. जारी करने की अन्तिम तिथि तक लम्बित है, से सत्र 2010–2011 के लिये शपथ पत्र प्राप्त कर समन्वयक–पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को छात्र आवंटन हेतु सत्र 2009–2010 की भाँति ही एन.ओ.सी. जारी कर दी जाये । (स) यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त शपथ पत्र में यह अंकित किया जाये कि महाविद्यालय सत्र 2009–2010 की सम्बद्धता हेतु शपथ पत्र की दिनांक से तीन माह में एन.सी.टी.ई. के दिनांक 31.08.2009 के नवीनतम मानदण्डों एवं मानकों के अनुसार स्टाफ एवं भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा एवं सत्र 2009–2010 की सम्बद्धता प्राप्त कर दिनांक 31.12.2010 से पूर्व सत्र 2009–2010 की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं सत्र 2010–2011 की सम्बद्धता महाविद्यालय को सत्र 2011–2012 के लिये समन्वयक–पीटीईटी को छात्र आवंटन हेतु एन.ओ.सी. जारी करने की अन्तिम तिथि से पूर्व प्राप्त करनी होगी अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2011–2012 के लिये छात्र आवंटन हेतु समन्वयक–पीटीईटी को एन.ओ.सी. जारी नहीं की जायेगी, जिसके लिये महाविद्यालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का सत्र 2011–2012 का सम्बद्धता शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा सत्र 2011–2012 की महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त मानी जायेगी ।		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गयी।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 5</td><td>विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2009 के निर्णय संख्या 05 के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009) के दिशा–निर्देशों के अनुरुप नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन के संयोजकत्व में गठित समिति के कार्यवृत्त पर विचार कर अनुमोदन करना । (परिशिष्ठ–10)
(परिशिष्ठ अलग से प्रेषित किया जायेगा)</td><td></td><td>शोध एवं परीक्षा</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2009 के निर्णय संख्या 05 के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009) के दिशा–निर्देशों के अनुरुप नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन के संयोजकत्व में गठित समिति के कार्यवृत्त पर विचार कर विद्या परिषद की ओर से अनुमोदन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 6</td><td>विश्वविद्यालय के अध्यादेश 158 (A) में निम्नानुसार संशोधन कर विचार करनाः–
<table>
<tr><th>Existing</th><th>Proposed</th></tr>
<tr><td>English version of Degree/ Diploma/ Certificate in Hindi may be given to candidate on request and on pre-payment of Rs. 50 provided that the candidate has already obtained the original Degree/ Diploma/ Certificate in Hindi. In the case of a candidate residing abroad and desiring his degree/ diploma to be sent at his foreign address, actual postal charges required for sending the degree will be charged in addition to the fee mentioned above.</td><td>English version of Degree/ Diploma/ Certificate may be given to a candidate on request and on pre payment of Rs. 100/- provided that the candidate has already obtained the original Degree/ Diploma/ Certificate in Hindi. However, the candidate who needs the English version of the Degree for joining service in India or abroad or persuing study in abroad may be given English version degree irrespective of fact that the candidate has not given original Degree / Diploma / Certificate in Hindi. In such a case the candidate has to submit an application along with the letter of his appointment or valid document for the purpose. In the case of a candidate residing abroad and desiring his degree or diploma to be sent at his foreign address, actual postal charges required for sending the degree will be charged in addition fee mention above.</td></tr>
</table></td><td></td><td>उपाधि</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>अध्यादेश 158 (A) में प्रस्तावित उपरोक्तानुसार संशोधन को अनुमोदनार्थ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 7</td><td>विश्वविद्यालय के अध्यादेश 157–A के वर्तमान निम्नांकित प्रावधान को उसके सम्मुख प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार संशोधित करने पर विचार करना :–
Ord.157-A
<table>
<tr><th>Existing</th><th>Proposed</th></tr>
<tr><td>3. A candidate who wishes to apply for revaluation of his answer book(s) must submit his application the prescribed form together with the requisite fee so as to reach to the Registrar office can or before expiry of thirty days from the date of declaration of his/her examinatio result. Applications if not received in the prescribed form by the due date or without the requisite fee shall be rejected. Incomplete application form will also be rejected.</td><td>A candidate who wishes to apply for revaluation of his answer book(s) must submit his application on the prescribed form together with the requisite fee so as to reach to the Registrar office on or before expiry of twenty one days from the date of declaration of his/her examination result. Applications if not received in the prescribed form by the due date or without the requisite fee shall be rejected. Incomplete application form will also be rejected.</td></tr>
<tr><td>6(B)(iv) If the difference of the award of revaluation and original examiner is more than 25% of maximum marks the answer books shall be referred to third examiner and average of two nearest awards shall be taken into account and the result will be worked out and declared accordingly.</td><td>If the difference of the awards of revaluation and original examiner is more than 25% of maximum marks either increase or decrease the average of revaluated marks shall be taken into account for awarding the revaluated marks to the candidate in that subject and result worked out accordingly. (The answer book does not required to send third examiner for assessment in the cases of revaluated award more than 25%)</td></tr>
</table></td><td></td><td>गोपनीय</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>विश्वविद्यालय के अध्यादेश 157–A को निम्नानुसार प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की।
Ord.157-A
3 "A candidate who wishes to apply for revaluation of his answer book(s) must submit his application in the prescribed form together with the requisite</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	fee so as to reach to the Registrar office on or before expiry of twenty one days from the date of declaration of his/her examination result. Applications if not received in the prescribed form by the due date or without the requisite fee shall be rejected. Incomplete application form will also be rejected. **6(B)(iv) If the difference of the awards of revaluation and original examiner is more than 25% of maximum marks of that paper (either increased or decreased) the revaluation award shall be as under :** **1. In case marks increased are more than 25% of the maximaum marks then the award of revaluation shall be – original marks plus 25% and 50% marks of the remaining marks (more than 25%)** **2. In case marks are decreased more than 25% of the maximum marks then the award of revaluation shall be – original marks minus 25% and 50% marks of the remaining marks (more than 25%)"**		
मद सं. 8	एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम में किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने हेतु विद्या परिषद के पूर्व निर्णय सं. 4 (iii) दिनांक 12 सितम्बर, 2008 में संस्तुत प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने के विज्ञान संकाय के अध्यक्ष की संस्तुति कि इस प्रयोजन हेतु निर्धारित शर्त कि ''महाविद्यालय में उपाधि पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक सतत् अध्यापन पाँच वर्ष हुआ हो'' में शिथिलता प्रदान करने पर विचार करना।		**शैक्षणिक–।।**
निर्णय	**एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम में किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने हेतु विद्या परिषद के पूर्व निर्णय सं. 4 (iii) दिनांक 12 सितम्बर, 2008 में संस्तुत प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने के विज्ञान संकाय के अध्यक्ष की संस्तुति के क्रम में इस प्रयोजन हेतु शर्त कि *''महाविद्यालय में उपाधि पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक सतत् अध्यापन तीन वर्ष हुआ हो''* प्रावधान करने का निर्णय किया।** **यह भी निर्णय किया कि, उक्त प्रावधान अन्य सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगा।**		
मद सं. 9	विश्वविद्यालय के अध्यादेश 57 में निम्नांकित नया प्रावधान (iii) For Post Graduate and Degree Colleges in Education Faculty : "As laid down by the National Council for Teachers Education" पर विचार करना ।		**शैक्षणिक–।।**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रस्तावित संशोधन प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की।**		
मद सं. 10	विश्वविद्यालय के अध्यादेश 53 (I) में शब्द "and Education" को विलोपित करने पर विचार करना तथा नये प्रावधान (D) निम्नानुसार जोड़े		**शैक्षणिक–।।**

	जाने पर विचार करना : **O.53 I (D) For Lecturers in Education Faculty-** As laid down by the National Council for Teacher Education.		
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त प्रस्ताव को प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की।**		
en l- 11	Draft UGC Notification on Revision of Pay Scales, minimum qualifications for appointment of teachers in University and colleges & other measures for the maintenance of standards, 2009 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निदेशक शारीरिक शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्णित योग्यताओं को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत व मान्य किए जाने पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– 13)**		lLFkkiu
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त प्रस्ताव को प्रबंध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की।**		
en l- 12	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा लिये अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1/2009–एनसीटीई (N&S) दिनांक 31.08.2009 के द्वारा बी.एड़, एम.एड़ एवं बी.पी.एड़ महाविद्यालयों में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की योग्यताओं एवं आधारभूत सुविधाओं के संबंध में नवीनतम मानदण्ड गजट नोटिफिकेशन की दिनांक से लागू किये गये हैं, जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालयों के लिए भी यथावत् लागू होते हैं । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के उक्त नवीनतम मानदण्ड विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(परिशिष्ठ– 14)**		'k{kf.kd- II
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा एन.सी.टी.ई. के उक्त नवीनतम मानदण्ड स्वीकार किए गए।**		
मद सं0 13	छात्रा गरिमा शर्मा M.Phil. Zoology Exam, 2009 के प्रार्थनापत्र दिनांक 26.10.09 के अनुसार चिकित्सारत होने एवं चिकित्सक द्वारा दो माह का बैड रेस्ट दिये जाने एवं संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा शोधग्रंथ जमा करवाने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने हेतु की गयी अनुशंषा के आधार पर छात्रा को उक्त परीक्षा से संबंधित शोधग्रंथ वर्णित विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल इस प्रकरण में अध्यादेश 123 **(**V**) 7** में शिथिलता प्रदान कर दिनांक 26.12.2009 तक प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है		**परीक्षा**
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा छात्रा गरिमा शर्मा को संबंधित अध्यादेश में शिथिलता प्रदान करते हुए शोधग्रंथ 26.12.2009 तक जमा कराने की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की। यह निर्णय भविष्य के लिये उदाहरण नहीं माना जावेगा।**		
मद सं0 14	प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड की दिनांक 15.03.2010 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना।		'k{kf.kd-।

निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड की दिनांक 15.03.2010 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं को स्वीकृत किया। प्राणीशास्त्र विज्ञान में जन्तु विच्छेदन पर रोक लगाते हुए कम्प्यूटर आधारित डिजिटल तकनीक अपनाने का निर्णय किया साथ ही वनस्पति विज्ञान में प्रयोग में आने वाले संकटग्रस्त व विलुप्त प्रजातियों के प्रयोग नहीं किये जाकर वैकल्पिक तकनीक का उपयोग किया जाये।**		
मद सं0 15	एम.फिल. में सेमेस्टर प्रणाली व क्रेडिट सिस्टम अपनाने पर विचार करना		**शैक्षणिक–I ⁄ परीक्षा**
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा एम.फिल. में सेमेस्टर प्रणाली तथा क्रेडिट सिस्टम अपनाने के लिए तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अध्ययन बोर्डो को निर्देशित करने का निर्णय किया गया।**		

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर सम्पन्न हुई।

कुलसचिव